तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/टिए/2533/2005/भरतपुर नृपत सिंह बनाम मोहन	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.08.2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थिति :–** श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थी श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम,1955) की धारा 230 के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर द्वारा दिनांक 23–05–2005 को प्रकरण संख्या 43/05 शीर्षक नृपत सिंह बनाम मोहन में पारित आदेश के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। हमने योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस निगरानी पर सुनी। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी निगराकार की ओर से सहायक कलक्टर, भरतपुर के न्यायालय में धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे दिनांक 16–5–2005 को खारिज किया गया और इसके विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील को भी दिनांक 23–05–2005 को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अविधिक रुप से खारिज किया है। प्रार्थी प्रश्नगत भूमि के पंजीबद्ध विक्रय पत्र से क्रेता हैं और क्रय के रोज से ही प्रार्थीगण का आराजी पर कब्जा काश्त है, अतः धारा 212 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में कब्जे का बिन्दु हमारे पक्ष में होने से, इस निगरानी को स्वीकार किया जाये और अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावें। अप्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने समवर्ती निर्णयों से प्रार्थी के पक्ष में किसी प्रकार का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण साबित नहीं होना माना है, अतः निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया मूल वाद ही जब खारिज हो गया है तो यह निगरानी वैसे भी प्रभावहीन हो जाती है, अतः निगरानी खारिज की जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी / टिए / 2533 / 2005 / भरतपुर नृपत सिंह बनाम मोहन	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के आदेश व अन्य उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि वादी/प्रार्थी द्वारा वाद संख्या 07/2005 शीर्षक नृपत सिंह बनाम मोहन अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 प्रस्तुत किया था और उसके साथ में ही प्रार्थना पत्र धारा 212 का प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थना पत्र में दिनांक 16–5–2005 को निर्णय कर इसे खारिज किया गया और इसके विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील को भी दिनांक 23–05–2005 को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने खारिज किया है, जिसके विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत निगरानी है। स्पष्ट है कि मूल वाद जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया गया था वह वाद दिनांक 02–11–2015 को खारिज हो चुका है, अतः इस प्रकार की स्थिति में मण्डल के समक्ष प्रस्तुत यह निगरानी निष्प्रभावी हो जाती है। अतः निगरानी प्रभावहीन (Infructuous) हो जाने से इसी आधार पर **खारिज** की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	